PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Fri, 19 May 2017, Page 1
Width: 31.77 cms, Height: 10.75 cms, a3r, Ref: 34.2017-05-19.173

जीएसटी दरें तय, रोजमर्रा का सामान होगा सस्ता

■ **श्रीनगर।**

वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे। साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने बृहस्पतिवार को अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है।

जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 फीसद का जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 फीसद कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 फीसद की कर दर तय कर दी है। छोटी कारों पर 28 फीसद की ऊपरी कर दर के साथ एक फीसद का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन फीसद का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 फीसद का उपकर लगेगा। बोतलबंद पेय पर 28 फीसद का कर लगेगा। हालांकि, बीड़ी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर कल फैसला होगा।

एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 फीसद का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच फीसद के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 फीसद होगी, जो अभी 28 फीसद है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि सात फीसद वस्तुओं को छूट सूची में रखा गया है जबकि 14 फीसद वस्तुओं को पांच फीसद के सबसे कम दर वाले दायरे में रखा गया है। वहीं 17 फीसद वस्तुओं को 12 फीसद कर दायरे में, 43 फीसद वस्तुओं को 18 फीसद कर स्लैब में जबकि 19 फीसद वस्तुओं को 28 फीसद के उच्चतम कर दायरे में रखा गया है। लगभग 81 फीसद वस्तुओं पर 18 फीसद या कम जीएसटी कर लगेगा। (भाषा)

जीएसटी परिषद बैठक की खास बातें

- ■ अनाज, केश तेल, साबुन के दाम घटेंगे
- ■ नई कर व्यवस्था से बिजली की दरें भी होंगी कम
- ■ कारों पर जीएसटी की लगेगी सबसे ऊंची दर
- ■ जीएसटी परिषद ने जीएसटी के सात नियमों को दी मंजूरी
- ■ बदलाव और विवरण से संबंधित शेष दो नियमों हो रही है समीक्षा
- ■ 1212 वस्तुओं में से छह को छोड़कर सभी के लिए दरें तय
- ■ कोयले पर पांच फीसद तय की गई जीएसटी की दर
- ■ अभी इस पर लगता है 11.69 फीसद का कर
- ■ चीनी, चाय, काफी, खाद्य तेल पर भी पांच फीसद लगेगा कर
- ■ तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर वसूला जाएगा 18 फीसद टैक्स
- ■ अनाज पर नहीं लगेगा टैक्स, अभी पांच फीसद लगता है कर
- ■ दूध और दही को रखा गया है जीएसटी के दायरे से बाहर